न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 45/2021 जिला सीकर

1. गीधाराम पुत्र माधा जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुढा कलॉ तहसील व जिला सीकर।

—अपीलान्ट

वनाम

1. नाथूराम पुत्र माधा जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुढा कलॉ तहसील व जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार सीकर आज्ञा दिनांक 24.08.2021

उपस्थित—

1. श्री श्यामबाबू पारीक वकील अपीलान्ट
2. रेस्पोडेण्ट श्री नाथूराम पुत्र माधा

अपील संख्या 46/2021 जिला सीकर

1. गीधाराम पुत्र माधा जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुढा कलॉ तहसील व जिला सीकर।

—अपीलान्ट

वनाम

1. नाथूराम पुत्र माधा जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुढा कलॉ तहसील व जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार सीकर बावत् नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 07.09.2021

उपस्थित—

1. श्री श्यामबाबू पारीक वकील अपीलान्ट
2. रेस्पोडेण्ट श्री नाथूराम पुत्र माधा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक —27.09.2022

1. यह दोनो अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सीकर, के निर्णय दिनांक 24.08.2021 एवं निर्णय दिनांक 07.09.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

2. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुडाकलां तहसील सीकर की कृषि भूमि खसरा नं. 290, 312, 351 कुल किता 3 रकबा 3.22 है0 एवं भूमि खसरा नं. 52, 73, 75, 76 कुल किता 4 रकबा 2.82 है0 की खातेदार मु0 भूरी बेवा महादू उर्फ माधा जाति गुर्जर ने अपने हिस्से की भूमि एक सम्मोचन पत्र से अपने पुत्र रेस्पोडेण्ट नाथू पुत्र माधा के हक में पंजीबद्ध करा दिया। इस सम्मोचन पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 02.02.2012 को ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी सीकर के होने

Scanned by CamScanner

पर रिमाण्ड करने के आदेश दिये गये जिस पर तहसीलदार सीकर ने दिनांक 24.08.2021 को सम्मोचन पत्र के आधार पर गृहिता के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 07.09.2021 स्वीकृत किया गया।

3. तहसीलदार सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 24.08.2021 व दिनांक 07.09.2021 से व्यथित होकर उसके खिलाफ अपीलान्ट गीधाराम पुत्र माधा द्वारा यह पृथक पृथक दोनों अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सीकर दिनांक 24.08.2021 व दिनांक 07.09.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व स्वयं रेस्पोडेण्ट की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम गुढाकलॉ कृषि भूमि खसरा नं. 290, 312, 351 कुल किता 3 रकबा 3.22 है0 एवं भूमि खसरा नं. 52, 73, 75, 76 कुल किता 4 रकबा 2.82 है0 की खातेदार मु0 भूरी बेवा महादू उर्फ माधा जाति गुर्जर ने अपने हिस्से की भूमि एक सम्मोचन पत्र से अपने पुत्र रेस्पोडेण्ट नाथू पुत्र माधा के हक में विक्रय कर दी। उक्त तथाकथित सम्मोचन पत्र दिनांक 27.06.2007 रजिस्ट्रर्ड नहीं है एवं फर्जी नुमाईशी है। हक त्याग के समय भूरी देवी 80 वर्ष की थी उसके सोचने–समझने की शक्ति नहीं थी एवं जो गवाह किए गए है वो भी गांव के ना होकर परिवार से ही हैं। उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष सम्मोचय पत्र को चुनौती देते हुए भूरी देवी के जीवनकाल में ही दावा पेश किया गया है जो कि विचाराधीन है एवं इस सम्मोचन पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 02.02.2012 को ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया था एवं उपखण्ड अधिकारी सीकर ने भी नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः सही जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये हैं ऐसी स्थिति में भी तहसीलदार सीकर ने दिनांक 24.08.2021 को सम्मोचन पत्र के आधार पर गृहिता के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 07.09.2021 स्वीकृत किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेण्ट ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त कृषि भूमि की खातेदार मु0 भूरी बेवा महादू उर्फ माधा जाति गुर्जर ने अपने हिस्से की भूमि का 1/3 हिस्सा एक सम्मोचन पत्र से प्रार्थी नाथू पुत्र माधा के हक में विक्रय कर दी। अतः उक्त हिस्से पर प्रार्थी का अधिकार है एवं काबिज है। अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस 1/3 हिस्से पर नाजायज अधिकारिता प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट एवं हिताधिकारियों की सही जॉच कर नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 07.09.2021 स्वीकृत किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि ग्राम गुडाकलां तहसील सीकर की कृषि भूमि गीधाराम, नाथूराम एवं उनकी माता भूरी के नाम पैतृक रूप से प्राप्त हुई है एवं मु0 भूरी बेवा माधा द्वारा अपने हिस्से की भूमि जरिये सम्मोचन पत्र अपने पुत्र नाथूराम के नाम कर दी गई। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है

Scanned by CamScanner

कि रेस्पोडेण्ट ने जो समोचन पत्र निस्पादित कराया है, उसका उसे विधिक अधिकार है एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 23.09.2016 में भूरी देवी के कथन से भी यह स्पष्ट होता है कि वह अपने पुत्र नाथू के साथ रहती है तथा वह ही उसकी सेवा सुश्रसा करता है और उसने होशो हवास में समोचन पत्र दिया है। अतः उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर हम समक्षते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट एवं हिताधिकारियों की सही जॉच कर नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 07.09.2021 स्वीकृत किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते।

अतः आदेश है किः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर का निर्णय दिनांक 24.08.2021 व दिनांक 07.09.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. मिरीश. पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner